न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
07/2018	02.02.2018	29.01.2021

1. अमरसिंह पि. मु. छाजूराम
2. किशनलाल पुत्र नानगा
3. भानीसहाय पुत्र नानगा
4. यादराम पुत्र नानगा
5. बब्ली देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी सिहाली खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. चमेली पत्नि स्वर्गीय धर्मपाल
2. यशवन्त
3. सत्यप्रकाश पुत्रान धर्मपाल
4. सीमा
5. नीलम पुत्रीयान धर्मपाल
6. शीशराम पुत्र हेतराम
7. सुनिल
8. राकेश
9. राजेश पुत्र बोहडू
10. स्नेहलता पुत्री बोहडू
11. नारयणी बेवा बोहडू
12. अमरसिंह पुत्र घीसा
13. भूपसिंह
14. सुबेसिंह
15. सूरतसिंह पुत्रान छोटूराम उर्फ रामजीलाल
16. सरबती बेवा छोटूराम जाति अहीर निवासी खानपूर अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णयः—

दिनांक :— 29.01.2021

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :—

1. यह है कि वाके ग्राम सिहाली कलां [illegible] स्थित आराजी खसरा नम्बर 961 रकबा 0.35 है0, 963 रकबा 1.01 है0 [illegible] 0.58 है0 के खातेदार अभिधारी है। हम हमारी उपरोक्त आ[illegible] अप्रार्थीगण की ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जि[illegible] राज0 में स्थि[illegible]जी खसरा नम्बर 888 रकबा 0.48 है0, 889 रकबा 0.92 है[illegible] चाहते है। इसके अलावा हम आवेदक की [illegible] कोई मार्ग (रास्ता) नही है, और विद्यमान मार्ग (रास्ता) ही आवेदक की आराजी [illegible] जाने के लिए एक मात्र निकटतम व लघुत्तम मार्ग (रास्ता) है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि —

(क). यह है कि आराजी खसरा नम्बर 888 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 889 रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम सिंहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के मध्य में से होकर 20 फुट चौडा मार्ग (रास्ता) दिलाया जाकर उसको राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित कराए जाने का निवेदन किया है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

1. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की, तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी सं0 06, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री बिक्रम सिंह उपस्थित हुए। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।
2. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74, नक्शा ट्रेस पेश किये गये।
3. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
4. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।
5. बहस वकूलाय सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

   ग्राम सिहाली कलां का खसरा नम्बर 961 रकबा 0.35 है0, 963 रकबा 1.01 है0, 964 रकबा 0.58 है0 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी खसरा नम्बर 961 रकबा 0.35 है0, 963 रकबा 1.01 है0, 964 रकबा 0.58 है0 में आने–जाने के लिए ख0नं0 888 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 889 रकबा 0.92 है0 में से 20 फुट चौड़ा का रास्ता चाह रहा है। ख0नं0 888 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 889 रकबा 0.92 है0 में प्रार्थी स्वयं खातेदार नही है। ख0नं0 964 में पहुचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खसरा नम्बर 961 रकबा 0.35 है0, 963 रकबा 1.01 है0, 964 रकबा 0.58 है0 के चारो तरफ कोई कटानी सार्वजनिक रास्ता नहीं लगता है। ख0नं0 खसरा नम्बर 961 रकबा 0.35 है0, 963 रकबा 1.01 है0, 964 रकबा 0.58 है0 में आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ता ख0नं0 888 रक़बा 0.48 है0, खसरा नम्बर 889 रकबा 0.92 है0 में से ही उपलब्ध है।

   समस्त तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 961 रकबा 0.35 है0, 963 रकबा 1.01 है0, 964 रकबा 0.58 है0 कृषि कर रहा है। जहां से सम्पूर्ण मौका स्थिति को देखने से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि, प्रार्थी के लिए इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से ख0नं0 888 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 889 रकबा 0.92 है0 की पूर्व डोल से पश्चिम दिशा में लम्बाई 100 मीटर चौडाई 20 फीट का रास्ता ही एकमात्र न्यूनतम दूरी का, व्यवहारिक व सुविधाजनक रास्ता हो सकता है।

   मौके पर प्रार्थी के खेत हेतु साधन आने–जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत तक आने–जाने, फसल की जुताई–बुवाई–कटाई, उपज के विपणन हेतु चौपहया वाहन के आवागमन की आत्यान्तिक आवश्यकता रहती है। खसरा नम्बर 961 रकबा 0.35 है0, 963 रकबा 1.01 है0, 964 रकबा 0.58 है0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 888, 889 की दणिक्ष डोल से होकर कदीम से आता जाता है। रास्ता कटानी नहीं होने से प्रार्थी को नाजायज परेशान कर रहे है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी खसरा नम्बर 961 रकबा 0.35 है0, 963 रकबा 1.01 है0, 964 रकबा 0.58 है0 चाही 2 किस्म है।

8. न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि प्रार्थी की रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सिहाली कलां, तहसील मुण्डावर स्थित भूमि खसरा नम्बर 888 रकबा 0.48 है0, 889 रकबा 0.92 है0 मे से दणिक्ष डोल के साथ साथ पूर्व – पश्चिम दिशा मे 100 मीटर भूमि लम्बाई के समानुपाति चौड़ाई में 20 फीट, प्रार्थी को प्रचलित सार्वजनिक रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 964 के पश्चिमी कोने तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में अप्रार्थीगण कि आयी भूमि की डी.एल.सी दर से दो गुणी राशि प्रार्थी से जमा करवाए जावे। जमा राशि को उक्त रास्ते में आई अप्रार्थी को आई भूमि के अनुपात के अनुसार वितरण कर रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप मे दर्ज की जावे। रास्ते को नजरी नक्शा (परिशिष्ठ A) में ए से बी तक दिखाया गया है। परिशिष्ट–ए निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग,

उपखण्डाधिकारी

उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। यह रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को लिखा जावे।

29.1.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

निर्णय आज दिनांक **29.01.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुंनाया गया।

29.1.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested